## ायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

ीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 226/2018 (2018/00230)

**अनवान**

1. रतनलाल पिता मगना अहीर नि.रामाखेडा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
3. भंवरलाल पिता मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
4. भगवानी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
5. गुलाबी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
6. सोनी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
7. गीता पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
8. भगवान पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
9. देवीलाल पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
10. शान्तिलाल पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
11. रतनी पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
12. सोनीबाई पत्नी रतनलाल अहीर नि.रामखेडा तह.चित्तौडगढ
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोसुण्डा जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

र्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री भैरूलाल गुर्जर अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 05.05.2026

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रामाखेडा मे वादी एंव प्रतिवादी 03 से 11 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की पुराने सेटलमेन्ट की आराजी नं 121/2 रकबा 8 बीघा ग्राम रामाखेडा पटवार हल्का तुम्बडिया के खातेदार महाराम , मोती पिता देवी अहीर साकिन रामाखेडा के गैर खातेदारी में दर्ज थी जो इंतकाल संख्या 58 दिनांक 17.10.1977 को खातेदारी से दर्ज रेकॉर्ड थी। पुराने सेटलमेन्ट की आराजी नं 121/2 रकबा 8 बीघा के नये सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग में निनांकितज नये आराजी नं. 192, 193, 195, 196, 197 कुल किता 05 कुल रकबा 1.52 हे. स्थित है। वादी एंव प्रतिवादीगण का पारिवारीक सजरा वाद पत्र में वर्णित है।

पुराने सेटलमेन्ट का रकबा 8 बीघा था जिसके नये सेटलमेन्ट में 1.73 हे. बनता है परन्तु सेटलमेन्ट के अधिकारीयों ने 1.52 हे. नयी जमाबन्दी अंकित किये है। इस प्रकार 0.21 हे. भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के संयुक्त खातेदारी मे कम अंकित की है। जबकि मौके पर पुराने सेटलमेन्ट के अनुसार 8 बीघा पर काबिज है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने आराजी नं 195, 196, 197 का रकबा कम कर आराजी नं 198 में 0.21 हे. भूमि मिलादी है इस प्रकार कुल रकबा मे 0.21 हे. कम दर्ज कर देने से वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के सयुक्त खाते मे 1.52 हे. भूमि दर्ज है जबकि 1.52 हे. के बजाए 1.73 हे. कृषि भूमि खातेदारी मे दर्ज करनी चाहिये थी। ग्राम रामाखेडा के राजस्व रेकार्ड नवीन बंदोबस्ती रेकार्ड के अनुसार आराजी नं 198 भी अंकित होकर नक्शा ट्रेस में दर्शायी गयी है और इस आराजी को नवीन भू—प्रबन्धीय रेकॉर्ड में बिलानाम भूमि अंकित कर दी है। वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात के कमी रकबे के सम्बन्ध मे भू—प्रबंधक अधिकारी के यहा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के पूर्वजो ने आवेदन पेश कर दर्ज रजिस्टर्ड हुआ जिसके प्रकरण संख्या 17/1995 कायम कर दिनांक 06.02.1985 को सहायक

(दीनू ...)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिकारी के आदेश से कमी पूर्ति रकबा के रूप मे नवीन आराजी नं 197 में हे. भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया है।

सहायक भू – प्रबंधक अधिकारी के निर्णय की अनुपालना नही हो सकने से त्रुटि वाली जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस यथावत होकर निरंतर कायम चली आ रही है। जबकि मौके पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 संयुक्त रूप से आराजी नं 197 व अन्य शामलाती भूमियो पर काबिज चले आ रहे है। जिसमे नवीन आराजी नं 198 रकबा 0.21 हे. भी सम्मिलित है। वाद कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के मध्य विवाद हो जाने से फिर जमीन की नपती करवायी तो जमीन नपती मे पुरानी जमाबंदी व नयी जमाबंदी से मिलान किया तथा वादी एंव प्रतिवादीगणो के पूर्वज मोती एंव महाराम ने सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी के यहा कमी–पूर्ति रकबा कराने का आवेदन दिया जिसका आदेश हमारे घर पर पडे पुराने कागजो में 23.06.2018 को मिलने से पैदा होकर जारी है जो निरंतर जारी है। अन्त मे पक्ष वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वाद पत्र मे वर्णित नवीन कृषि भूमि ग्राम रामाखेडा की आराजी नं 198 बिलानाम मे से 0.21 हे. भूमि कम कर आराजी नं 195, 196, 197 में बढाया जाकर साबिक रकबे के मुकाबले 0.21 हे. की पूर्ति किये जाने की घोषणात्मक डिक्री एंव वाद माफिक आराजी नं 198 मे बिलानाम सरकार विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती किये जाने इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 03 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.07.2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा वर्तमान आराजी नम्बर 198 किस्म पेटा 1 बिलानाम सरकार से 0.21 हे. रकबा चाहा गया है। गत भूप्रबन्ध के आराजी नम्बर 119 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा किस्म नाडी व आराजी नं 120 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था । जिसका

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भू–प्रबन्ध अनुसार क्रमशः 0.83 हे. व 1.04 हे. कुल 1.87 हे. रकबा बनता है। भुप्रबन्ध के आराजी नम्बर 119 व 120 किता 02 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा नवीन भू प्रबन्ध अनुसार क्रमश आराजी नं 194 रकबा 0.14 हे. किस्म पाल तथा आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा 1 कुल किता 02 कुल रकबा 1.13 हे. बने है। इस प्रकार पूर्व मे भी 0.74 हे. रकबा कम दर्ज हुआ है।

वादी के गत भूप्रबन्ध के रकबे 8 बीघा यानि 1.73 हे. के बजाय नवीन भूप्रबन्ध के 0. 21 हे. कम रकबा दर्ज हुआ है। जबकि सहायक भुप्रबन्ध अधिकारी द्वारा 0.24 हे. भूमि बेशी दर्ज करने के आदेश दिए है। श्रीमान् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने आराजी नं 198 मे से रकबा कम करने के आदेश दिये है जबकि आराजी नम्बर 198 का रकबा गत भूप्रबन्ध के मुकाबले पहले ही कम दर्ज रेकार्ड है।

चूकि नवीन भुप्रबन्ध होकर रेकार्ड प्रभाव मे आये लगभग 40 वर्ष हो चुके है । वर्तमान मे यही रेकार्ड प्रभाव मे है । प्रकरण लगभग 40 वर्ष बाद इन्द्राज दरस्ती का पेश किया गया है जो सारहीन होकर खारीज योग्य है। वर्तमान आराजी नम्बर 198 की किस्म पेटा 1 दर्ज रेकार्ड है तथा गत भूप्रबन्ध मे भी उक्त आराजी की किस्म नाडी दर्ज रेकार्ड था। इस प्रकार श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण मे न्यायालय के नर्णिय के अनुसार आराजी नम्बर 198 का रकबा कम किया जाना उचित नही होने से प्रकरण निरस्त योग्य है।

वाद पत्र एंव जवाब दावे के आधार पर वाद बिन्दू कायम किए गए। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र रतनलाल का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 खाता संख्या 60 ग्राम रामाखेडा , प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस ग्राम रामा खेडा , प्रदर्श–3 मिलान खसरा सम्वत् 2034 से 2035 ग्राम रामाखेडा , प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 72 , प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 73, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 01 , प्रदर्श –7 नक्शा ट्रेस , प्रदर्श– 8 भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश प्रमाणित प्रति , प्रदर्श–9 नोटिस रजिस्र्टड एडी धारा 80 जा.दी. , प्रदर्श–10 रसीद डाक विभाग , प्रदर्श–11 रजिस्र्टड एडी स्लीप प्रदर्शित करवाए ।

(वीनू गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner

ा नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। अधिवक्ता वादी द पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वक्त सेटलमेन्ट ग्राम ाखेडा के आराजी न 195, 196, 197 का रकबा कम कर दिया गया है उक्त कमी रकबे की पूर्ति हेतू आराजी नं 198 मे 0.21 हे. विलोपित किया जाकर उपरोक्त आराजीयात 195, 196, 197 मे जोडा जाकर इन्द्राज दुरस्ती किया जाने एंव विरूद्ध प्रतिवादी संख्याा 01 व 02 स्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने का निवेदन किया ।

इसके विपरित पैरोकार सरकार ने वाद पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा ग्राम रामाखेडा की आराजी नं 198 बिलानाम सरकार किस्म पेटा 1 से कमी रकबे की पूर्ति करवाना चाहता है जबकि आराजी नम्बर 198 का रकबा गत भूप्रबन्ध के मुकाबले पहले ही कम दर्ज रेकार्ड है।

चूकि नवीन भुप्रबन्ध होकर रेकार्ड प्रभाव मे आये लगभग 40 वर्ष हो चुके है । वर्तमान मे यही रेकार्ड प्रभाव मे है । प्रकरण लगभग 40 वर्ष बाद इन्द्राज दरस्ती का पेश किया गया है जो सारहीन होकर खारीज योग्य है। वर्तमान आराजी नम्बर 198 की किस्म पेटा 1 दर्ज रेकार्ड है तथा गत भूप्रबन्ध मे भी उक्त आराजी की किस्म नाडी दर्ज रेकार्ड था। इस प्रकार श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण मे न्यायालय के निर्णय के अनुसार आराजी नम्बर 198 का रकबा कम किया जाना उचित नही होने से प्रकरण निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रकरण मे कायम वाद बिन्दू उभयपक्ष द्वारा शहादत सबूत के आधार पर निम्न प्रकार निर्णित किये जाते है :–

1. आया वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 मौजा रामाखेडा प.ह. तुम्बडिया की साबिक आराजी नं 121/2 रकबा 08 बीघा जिसके नवीन आराजी नं 192, 193, 195, 196, 197 कीता 05 रकबा 1.52 हे. बना है जो गत सेटलमेंट के मुकाबले नवीन भू प्रबन्ध मे 0.21 हे. कमी रकबा दर्ज हुआ है। उक्त कमी रकबा की पूर्ति नवीन आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. मे से कराये जाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबन्दीयाँ प्रदर्श–1 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम रामाखेडा के साबिक आराजी नं 121/2 रकबा 8 बीघा वादी एंव प्रतिवादी 01 से 11 के पर्वूजो के नाम दर्ज रेकार्ड होना बतलाती है। जिसके नवीन नम्बर 193, 195, 196, 197 किता 05 रकबा 1.52 हे. बने है। वादी वक्त सेटलमेन्ट हुई कमी रकबे की पूर्ति हेत ग्राम रामाखेडा की आराजी संख्या 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा 1 बिलानाम सरकार से 0.21 हे. की पूर्ति करवाना चाहता है । चूंकि पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात प्रदर्श–3 मिलान खसरा पत्रक के अवलोकन से यह जाहिर नही होता है कि वादी के साबिक आराजी नं 121/2 से नवीन आराजी नम्बर 198 बने हुए हो यह प्रमाणित नही होता है । जबकि ग्राम रामाखेडा के साबिक आराजी नं 120 से नवीन आराजी नं 198 के बने होने की पुष्टि होती है। अब रहा सवाल आराजी नं 198 बिलानाम सरकार किस्म पेटा 1 से कमी रकबे की पूर्ति का तो यहा यह बात स्पष्ट करना उचित रहेगा की वादी आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. मे से 0.21 हे. की पूर्ति करवाना चाहता है परन्तु गौरतलब है कि आराजी नं 198 का रकबा गत भूप्रबन्ध के मुकाबले पहले ही कम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी सूरत मे वादी का आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. मे से कमी रकबे की पूर्ति का प्रश्न ही नही उठता है।

अत :उपरोक्त विवेचना के आधार पर उक्त तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2. <u>आया वादी एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 11 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01, 02 स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है।</u>

–जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। तनकी नं 01 के विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी कमी रकबे की पूर्ति का अधिकारी नही पाया जाने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने का अधिकारी नही होने से उक्त तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आया हाल आराजी नं 198 रकबा 0.99 एंव आराजी नं 194 रकबा 0.14 कुल रकबा 1.13 हे. साबिक आराजी नं 119, 120 कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा से बने है। 8 बीघा 14 बिस्वा का नवीन रकबा 1.87 हे. बनना चाहिए था, इस प्रकार साबिक आराजी नं 119, 120 का नवीन रकबा 0.74 हे. कम दर्ज होने से वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

—प्रतिवादी 01 , 02

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पर था । उक्त तनकी के समर्थन मे पैरोकार सरकार ने जवाब के साथ मिलान खसरा पेश किया । उक्त मिलान खसरा से जाहिर होता है कि आराजी नं 198 , 194 कुल किता 02 कुल रकबा 1.13 हे. के साबिक आराजी. 119, 120 कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघ 14 बिस्वा से बने होने की पुष्टि होती है । उक्त दोनो साबिक आराजीयात से कुल 08 बीघा 14 बिस्वा बना है एंव उक्त साबिक रकबे के नवीन रकबा 1.87 हे. बनना चाहिए था परन्तु 1.13 हे. ही बना है । जो कि 0.74 हे. कम है। उपरोक्त स्थिति मे यह तथ्य भलीभांति उजागर हुआ है कि हाल आराजी नं 198 ,194 से बनने वाला रकबा पहले से ही कम है तो ऐसी स्थिति मे वादी का यह कथन की वादी के कमी रकबे की पूर्ति आराजी नं 198 से 0.21 हे. विलोपित किया जाकर वादी के खातेदारी मे जोडने का कथन निराधार होकर सारहीन प्रतीत होता है। अत : उक्त तनकी पक्ष प्रतिवादी संख्या 01 , 02 निर्णित की जाती है।

4. आया हाल आराजी नं 198 की किस्म पेटा – 1 दर्ज रेकार्ड है। जिसके साबिक आराजी नं 120 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म नाडी दर्ज रेकार्ड थी जिससे अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण मे न्यायालय के निर्णय अनुसार आराजी नं 198 का रकबा कम किया जाना उचित नही होने से वाद निरस्त योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादी 01 , 02

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 01 , 02 पर था। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श – 6 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से

(दीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2074 खाता संख्या 01 के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि ग्राम रामाखेडा के आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा 1 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है । हाल आराजी नं 198 के साबिक आराजी नं 120 रकबा 04 बीघा 12 बीस्वा से बने होने की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल से होती है। प्रदर्श – .6 नकल जमाबन्दी से विदित होता है कि हाल आराजी नं 198 रकबा 0.99 हे. कि किस्म पेटा– 1 है उक्त आराजी नं 198 से वादी अपने रकबे मे हुई कमी को दुरस्त करवाना चाहता है । चूंकि उक्त आराजी संख्या 198 की किस्म पेटा–1 है , जो कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय से हस्तगत प्रकरण का सीधा सरोकार होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना से उक्त तनकी पक्ष प्रतिवादी संख्या 01 , 02 व विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>अनुतोष :–</u>

वादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने मे विफल रहने से एंव प्रतिवादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित कराने मे सफल होने से वादी ग्राम रामाखेडा पटवार हल्का तुम्बडिया की आराजी संख्या 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा – 1 बिलानाम सरकार मे से 0.21 हे. की घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अत : वादी का वाद पत्र बाबत् ग्राम रामाखेडा पटवार हल्का तुम्बडिया की आराजी संख्या 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा – 1 बिलानाम सरकार मे से 0.21 हे. की घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के आधार पर प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

# मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

1. रतनलाल पिता मगना अहीर नि.रामाखेडा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
3. भंवरलाल पिता मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
4. भगवानी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
5. गुलाबी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
6. सोनी पुत्री मोती अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
7. गीता पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
8. भगवान पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
9. देवीलाल पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
10. शान्तिलाल पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
11. रतनी पिता सीताराम माता कमला अहीर नि.पुरोहितो का सांवता तह.व जिला चित्तौडगढ
12. सोनीबाई पत्नी रतनलाल अहीर नि.रामखेडा तह.चित्तौडगढ
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोसुण्डा जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 226/2018 (2018/00230)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ ... जिला चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर से वकील श्री भैरूलाल गुर्जर एंव पैरोकार सरकार की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है वादी का वाद पत्र बाबत् ग्राम रामाखेडा पटवार हल्का तुम्बडिया की आराजी संख्या 198 रकबा 0.99 हे. किस्म पेटा – 1 बिलानाम सरकार मे से 0.21 हे. की घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के आधार पर प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(टीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner